संख्या-201/2016/2366जेएल/22-3-16-800(23)/2016

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016***

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी सैफुद्दीन पुत्र श्री अबूकैश, निवासी-ग्राम-मदारपुर, थाना-इब्राहिमपुर, जिला-फैजाबाद(वर्तमान-अम्बेडकरनगर) को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद के बंदी सैफुद्दीन पुत्र श्री अबूकैश, निवासी-ग्राम-मदारपुर, थाना-इब्राहिमपुर, जिला-फैजाबाद (वर्तमान-अम्बेडकरनगर) को शासनादेश संख्या-130/2016/337जेएल/22-3-16-800(23)/2016, दिनांक 12-04-2016 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या-201/2016/2366जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद। **(फैक्स नं0-0532-2697215)**
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in